[2019] 10 एस. सी. आर 961

अलियाथाम्मुदा बीथेथेबियापुरा

पूकोया और ए. एन. आर.

वी.

पट्टाकल चेरियाकोया और ओआरएस।

(2010 की सिविल अपील No.9586)

अगस्त 1,2019

[मोहन एम. शांतनागौदर और

अजय रस्तोगी, जे. जे.]

मुस्लिम कानून उत्तराधिकार-मुतवल्ली के कार्यालय के लिए वंशानुगत उत्तराधिकार के खिलाफ सामान्य शासन का अपवाद

विवाद एंड्रोट जुमा के मुतवल्ली के कार्यालय से संबंधित है

लक्षद्वीप में स्थित मस्जिद-उत्तरदाता, वरिष्ठतम

पट्टाकल परिवार के सदस्य, जो एक संत उबैदुल्ला के वंशज होने का दावा करते हैं, के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण किया था और यह इसकी पहली मस्जिद थी।

मुतवल्ली-उनका दावा है कि प्रथागत परंपरा के अनुसार, मस्जिद के मुतवल्ली का कार्यालय उनके परिवार के पास निहित है-अपीलकर्ता, एंड्रोट द्वीप के निवासियों के प्रतिनिधियों का दावा है कि

मस्जिद द्वीप के निवासियों द्वारा बनाई गई थी और उत्तरदाताओं को कभी भी मुतवल्ली के कार्यालय का प्रथागत अधिकार नहीं था, और मुतवल्ली का चयन करने का अधिकार स्थानीय क्षेत्र के लोगों के पास होना चाहिए, उत्तरदाताओं ने घोषणा के लिए वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा दायर किया। यह कि मस्जिद के मुतवल्ली का कार्यालय उनके परिवार के पास निहित है-सूट ने फैसला सुनाया-अपील पर उच्च न्यायालय ने इसे ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया-सूट ने खारिज कर दिया-उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मस्जिद के मुतवल्ली का कार्यालय उनके परिवार के पास निहित है-सूट ने फैसला सुनाया-अपील पर उच्च न्यायालय ने इसे ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया-सूट ने खारिज कर दिया-उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मस्जिद के मुतवल्ली का कार्यालय उनके परिवार के पास निहित है-सूट ने आदेश दिया-अपील पर उच्च न्यायालय ने इसे ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया-सूट ने खारिज कर दिया-उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मस्जिद के मुतवल्ली का कार्यालय उनके परिवार के पास निहित है

मुतावल्ली को कस्टम-हेल्ड द्वारा उत्तरदाताओं के साथ निहित किया गया था: यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के दायरे को पार कर लिया है-ऐतिहासिक सामग्री

इस बात की पुष्टि करती है कि उबैदुल्ला मस्जिद के पहले मुतवल्ली थे और उनकी मृत्यु के बाद, उनके वंशज, यानी पट्टकल परिवार, काजी का पद संभाल रहे थे और बारी-बारी से मुतवल्ली के रूप में मस्जिद का प्रबंधन कर रहे थे-अपीलकर्ताओं ने कोई विपरीत ऐतिहासिक राय प्रस्तुत नहीं की है-अपीलार्थी

यह स्थापित नहीं कर सका कि उत्तरदाताओं में उल्लंघन हुआ था '

1966 में समिति के गठन के कारण मुतवल्ली के पद पर रहने का प्रथागत अधिकार जो 1972 तक अस्तित्व में था या समझौते के आदेश के कारण (अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं के पूर्ववर्तियों के बीच मुकदमे में पारित किया गया, जिसके अनुसार मस्जिद का प्रबंधन स्थानीय निवासियों द्वारा चुनी गई समिति द्वारा किया जाना था) जो है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शून्य घोषित किया गया-मुस्लिम कानून मुतवल्ली के पद पर उत्तराधिकार के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता नहीं देता है-हालांकि, इस तरह के अधिकार को कुछ अपवादों के आधार पर दिखाया जा सकता है, जिसमें उस प्रभाव के लिए एक प्रथा का निर्माण शामिल है-उत्तरदाता जुमा मस्जिद के मुतवल्ली के पद पर प्रथागत अधिकार स्थापित करने में सक्षम हुए हैं, जो सार्वजनिक नीति के लिए अनुचित या विरोधी नहीं है-वक्फ अधिनियम, 1995-एस. एस. 3 ((i), 64,69 (2) और 83 (9)-साक्षय अधिनियम, 1872। 35 , 45 , 81 और 114-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -

या. मैं, आर. 8 और या। XXIII, आर. 3 बी-वक्फ अधिनियम, 1954-एस. एस. 4,5 और 60. वक्फ अधिनियम, 1995 - धारा 83 (9)-वक्फ न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता-चर्चा का दायरा।

सार्वजनिक मामलों का साक्षय, और इसकी वास्तविकता को यू/माना जाता है एस. 81 इसके अलावा, यू / एस. 35, राजपत्रकर्ता द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में की गई प्रविष्टि एक प्रासंगिक तथ्य है-द्वारा दर्ज कोई भी तथ्य राजपत्रकार को विशेषज्ञ राय के रूप में भी माना जा सकता है एस. 45-इसलिए, राजपत्र की सामग्री को उसमें निहित ऐतिहासिक सामग्री की खोज के लिए ध्यान में रखा जा सकता है, जिस पर न्यायालय किसी विवाद का निर्णय लेने में अन्य साक्षय और परिस्थितियों के साथ विचार कर सकता है, भले ही वह निर्णायक साक्षय न हो।

तथ्य-इन-इश्यू।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। मैं, आर. 8 और या। XXIII, आर. 3 बी प्रतिनिधि मुकदमा-समझौता डिक्री-जब अमान्य हो-चर्चा की गई।

प्रथागत कानून-मुतवल्ली के पद पर उत्तराधिकारी होने के प्रथागत अधिकार के रूप में दावा-प्रमाण-आयोजित: एक व्यक्ति दावा करता है कि

मुतवल्ली के पद पर सफल होने का प्रथागत अधिकार होना चाहिए

यह दर्शाता है कि वक्फ (वक्फ के संस्थापक) का इरादा वंशानुगत उत्तराधिकार की प्रथा के माध्यम से कार्यालय को हस्तांतरित करना था-इस प्रभाव के लिए वक्फनामा में किसी भी स्पष्ट निर्देश के अभाव में, दावेदार

यह दिखाना होगा कि इस तरह की प्रथा ट्रस्ट के पूरे इतिहास में मौजूद रही है, और न केवल कुछ पीढ़ियों के लिए-एक सार्वजनिक वक्फ के संबंध में सबूत का बोझ एक पारिवारिक ट्रस्ट-मुस्लिम कानून से अधिक होगा।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1.1 आम तौर पर, जबकि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय को दर्ज किए गए तथ्य के सभी निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देता है।

पट्टाकल चेरियाकोया

थरावद और मस्जिद के प्रबंधन के अधिकार से नहीं निपटते हैं। उत्तरदाता स्वयं कार्यालय का दावा कर रहे हैं मुतवल्ली एक प्रथागत अधिकार के रूप में, न कि स्वामित्व अधिकार के रूप में। यहां तक कि दलीलों के दौरान अपीलार्थियों के वकील द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि यह स्वामित्व अधिकार नहीं हो सकता है। इसलिए, विभाजन विलेखों में मुतवल्ली के पद के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता था, और विभाजन विलेखों में इस पद का उल्लेख न करने से इस पद पर सफल होने के प्रथागत अधिकार के प्रतिवादियों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। [पैरा 14] [977-एफ-जी]

1.3 चूँकि यह मुद्दा लगभग 1300-1400 साल पहले निर्मित एक मस्जिद से संबंधित है, इसलिए समकालीन प्रमाण खोजना असंभव है।

उसी के निर्माण से। के लिए राजपत्रक लक्षद्वीप द्वीप समूह ने हाल ही में 1977 में 10 एस. सी. आर. दर्ज किए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उबैदुल्ला एंड्रोट में पहले मुसलमान थे और उन्हें एंड्रोट मस्जिद में दफनाया गया है। राजपत्रकार के साथ-साथ तत्कालीन कलेक्टर ने निवासियों के धर्मांतरण की तारीख से संबंधित अशुद्धियों के बावजूद इस खाते को विश्वास दिलाया। राजपत्र सार्वजनिक मामलों का प्रमाण देने वाला एक आधिकारिक रिकॉर्ड है, और इसकी वास्तविकता साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 81 के तहत मानी जाती है। इसके अलावा, साक्षय अधिनियम की धारा 35 के तहत, राजपत्रकार द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में की गई प्रविष्टि एक प्रासंगिक तथ्य है। राजपत्रकर्ता द्वारा दर्ज किए गए किसी भी तथ्य को साक्षय अधिनियम की धारा 45 के तहत विशेषज्ञ की राय भी माना जा सकता है। इसलिए, राजपत्र की सामग्री को उसमें निहित ऐतिहासिक सामग्री की खोज के लिए ध्यान में रखा जा सकता है, जिस पर न्यायालय किसी विवाद का निर्णय लेने में अन्य साक्षय और परिस्थितियों के साथ विचार कर सकता है, भले ही वह तथ्य का निर्णायक साक्षय न हो।

यह आधार है कि यह हाल का प्रकाशन नहीं है। इसके अलावा, द्वीप के निवासियों के धर्मांतरण की तारीख चाहे जो भी हो, अगर उबैदुल्ला का मस्जिद से कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं होता, तो उन्हें वहां दफनाए जाने और मकबरे की पूजा करने का कोई कारण नहीं होता। भले ही किताब (Ex A37) को जमीन पर नजरअंदाज कर दिया गया हो। कि यह प्रतिवादी संख्या 2 के रिश्तेदार (वह भी मुकदमा दायर होने के बाद), अन्य स्वतंत्र ऐतिहासिक सामग्रियों द्वारा लिखा गया था

पुष्टि करें कि उबैदुल्ला मस्जिद का पहला मुतवल्ली था,

कि उन्होंने एक धर्मांतरित महिला से शादी की और पट्टकल थरावद की स्थापना की, और उनके निधन के बाद, उनके वंशज, यानी पट्टकल परिवार, काजी का पद संभाल रहे थे और बारी-बारी से मुतवल्ली के रूप में मस्जिद का प्रबंधन कर रहे थे। इसके अलावा, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही कहा है, ये सामग्री इतिहास का उल्लेख करती हैं द्वीप, इसका प्रशासन, स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था, आदि, जो सभी ऐतिहासिक तथ्यों का गठन करते हैं, और ये सामग्री योग्य हैं

ऐतिहासिक साहित्य। इसलिए, अपीलार्थियों का यह तर्क कि ये सामग्री पौराणिक या पौराणिक प्रकृति की हैं, असहमत थे। दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं ने कोई विपरीत ऐतिहासिक राय प्रस्तुत नहीं की है जिसमें कहा गया है कि उबैदुल्लाह पहले व्यक्ति नहीं थे।

मुतवल्ली और यह कि उनके वंशजों ने मुतवल्ली के पद पर बने रहना जारी नहीं रखा, या यह दिखाने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण कि मस्जिद का प्रबंधन स्थानीय निवासियों या एक समिति द्वारा किया जा रहा था।

इस प्रकार, अलियाथाम्मुदा बीथाथेबियापुरा पूकोया बनाम। पट्टाकल चेरियाकोया

उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है कि प्रतिवादियों ने अपनी स्थापना के बाद से मस्जिद के मुतवल्ली का पद संभाला है। [पैरा 15] [978-एफ-एच; 979-ए-जी]

1.4 यह विवाद में नहीं है कि यह पद प्रथागत हो सकता है। यह खंड में 'मुतवल्ली' की परिभाषा से भी स्पष्ट है।

3 (i) वक्फ अधिनियम, 1995, जिसमें एक व्यक्ति शामिल है जो किसी भी प्रथा के आधार पर मुतवल्ली है। मुस्लिम कानून मुतवल्ली के पद पर उत्तराधिकार के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता नहीं देता है। हालाँकि, मुस्लिम कानून पर विभिन्न विद्वानों का मानना है कि इस तरह का अधिकार

इसे कुछ अपवादों के आधार पर दिखाया जा सकता है, जिसमें उस प्रभाव के लिए एक प्रथा का निर्माण शामिल है। वंशानुगत उत्तराधिकार के दावे को स्वीकार किया जा सकता है यदि यह वक्फ (यानी वक्फ के संस्थापक) द्वारा उस प्रभाव की दिशा में स्थापित किया जाता है। इस तरह के निर्देश की धारणा लगातार नियुक्तियों की प्रथा से की जा सकती है।

मुस्लिम कानून के तहत मुतवल्ली के पद पर उत्तराधिकार अपीलार्थियों के इस तर्क का समर्थन नहीं करता है कि उन निर्णयों में पुष्टि किए गए सामान्य नियम के लिए प्रथा के रूप में कोई अपवाद नहीं हो सकता है। वक्फ अधिनियम, 1995 स्वयं स्वीकार करता है कि एक वक्फ में वंशानुगत मुतवल्ली हो सकती है। यह धारा 69 (2) के प्रावधान से स्पष्ट है, जो वक्फ बोर्ड की वक्फ के प्रशासन के लिए एक योजना तैयार करने की शक्ति से संबंधित है। मुतवल्ली के पद पर सफल होने के प्रथागत अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति के पास होगा यह दिखाने के लिए कि वक्फ का इरादा वंशानुगत उत्तराधिकार की प्रथा के माध्यम से कार्यालय को हस्तांतरित करना था। इस आशय के वक्फनामे में किसी भी स्पष्ट निर्देश के अभाव में, दावेदार को यह दिखाना होगा कि ऐसी प्रथा ट्रस्ट के पूरे इतिहास में मौजूद रही है, न कि केवल कुछ पीढ़ियों के लिए, ताकि वक्फ का इरादा कि कार्यालय वंशानुगत होना चाहिए, यह अनुमान लगाया जा सके। प्रमाण का बोझ सम्मान के साथ अधिक होगा

एक सार्वजनिक वक्फ के लिए, जैसे कि तत्काल मामले में सूट वक्फ, एक पारिवारिक ट्रस्ट के बजाय। कानूनी और बाध्यकारी होने के लिए एक प्रथा निश्चित, उचित होनी चाहिए और इस तरह की अपरिवर्तनीयता और निरंतरता के साथ लंबे समय तक व्यवहार में कार्य करना चाहिए कि यह आम सहमति से एक समुदाय में स्थापित शासी नियम बन गया है। यह पक्ष पर निर्भर करता है कि वह प्रथा पर भरोसा करे और इसे साबित करे। जबकि कोई भी व्यक्ति केवल [2019] 10 एस. सी. आर. मुतवल्ली के पद का दावा नहीं कर सकता है।

वक्फ या मूल मुतवल्ली का उत्तराधिकारी होने के कारण, यदि वे एक लंबे समय से स्थापित उपयोग या प्रथा के माध्यम से दिखा सकते हैं कि संस्थापक का इरादा था कि पद वंशानुगत उत्तराधिकार के माध्यम से हस्तांतरित होना चाहिए, तो इस तरह के उपयोग या प्रथा का पालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अभ्यास का पालन करना होगा

आवश्यकताएँ जो आम तौर पर एक साबित करते समय लागू होती हैं

प्रथा, अर्थात इसका विशेष रूप से अनुरोध किया जाना चाहिए, और यह प्राचीन, निश्चित, अपरिवर्तनीय, सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और स्पष्ट और स्पष्ट साक्षय के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए। द.

ओ. एस. नं. 1/1998 में अपनी शिकायत के पैराग्राफ 2 में उत्तरदाताओं ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि मुतवल्ली का कार्यालय निहित है

पट्टकल परिवार 'प्राचीन रीति-रिवाज और उपयोग के आधार पर'। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि काजी अधिनियम के प्रवर्तन से पहले भी, सरकार ने एंड्रोट द्वीप के लिए एक काजी को नियुक्त किया था।

मुकदमा दायर करना, ताकि बार-बार उल्लंघन हो या किसी तीसरे पक्ष को अधिकार प्रदान किया जा सके। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने यह दिखाने के लिए काफी दस्तावेजी साक्षय प्रस्तुत किए हैं कि पट्टकल परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे मुतवल्ली मस्जिद की स्थापना के बाद से। इस प्रकार, इस संबंध में अपीलार्थियों का तर्क विफल हो जाता है। [पारस 16-26,29] [979-H; 980-A-B; 982-B, C, G-H; 983-C, E-H; 984-E-G; 985-A; 988-G-H; 989-B-C]

1.5 यह समिति केवल 1966 से अस्तित्व में थी

1972 और वह भी केवल मस्जिद की मरम्मत और रखरखाव के संबंध में मुतवल्ली को सलाह देने के लिए। वक्फ अधिनियम, 1954 के तहत वक्फों की सूची और वक्फों के रजिस्टर में जुमा मस्जिद के संबंध में 1967 में और उसके आसपास की प्रविष्टियां इस बात का प्रमाण देती हैं कि मुतवल्ली का कार्यालय पारंपरिक रूप से वक्फ अधिनियम, 1954 में निहित था। प्रत्यर्थी, और समिति में नहीं, उस अवधि के दौरान जब तक कि एलियथामुडा बीथेथियापुरा पूकोया v.

पट्टाकल चेरियाकोया

प्रविष्टियाँ संबंधित हैं। चूँकि उत्तरदाताओं द्वारा निर्भर वक्फों की सूची (पूर्व ए 3) एक राजपत्र अधिसूचना है, उसमें निहित प्रविष्टि से पता चलता है कि मुतवल्ली का पद उनके पास था।

पटक्कल परिवार साक्षय अधिनियम की धारा 35,45 और 81 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य का गठन करेगा। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने समवर्ती रूप से पाया है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि वक्फ बोर्ड द्वारा 1967 में जुमा मस्जिद के संबंध में एक जांच की गई थी। अपीलार्थी नं. 1 ने भी न्यायाधिकरण के समक्ष इस जाँच में भाग लेने के बारे में गवाही दी थी, जिसके बाद सूची प्रकाशित की गई थी। इसके बाद, सूची में प्रविष्टि के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई। इसलिए, अपीलार्थी इस स्तर पर यह दावा नहीं कर सकते हैं कि की गई प्रविष्टि गलत है। वक्फ रजिस्टर वक्फ आयुक्त द्वारा तैयार किया जाता है, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है, इसलिए इसमें एक प्रविष्टि एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए की जाती है और

साक्षय अधिनियम की धारा 35 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य माना जाता है। इसलिए वक्फ रजिस्टर (पूर्व ए 4) में पट्टकल कोयम्मकोया को जुमा मस्जिद के मुतवल्ली के रूप में दिखाना इस विवाद को तय करने के उद्देश्य से एक प्रासंगिक तथ्य है। आदेश I नियम 8, सी. पी. सी. के तहत, जो प्रतिनिधि मुकदमों से संबंधित है, एक व्यक्ति दूसरों की ओर से और लाभ के लिए मुकदमा कर सकता है या बचाव कर सकता है।

न्यायालय की अनुमति से समान हित रखने वाले अन्य लोगों का। आदेश I नियम 8 का उद्देश्य उन प्रश्नों के निर्णय को सुविधाजनक बनाना है जिनमें बड़ी संख्या में लोग रुचि रखते हैं। सामान्य प्रक्रिया का सहारा लिए बिना। आदेश XXIII नियम के अनुसार

3बी, एक प्रतिनिधि मुकदमे में समझौता करने के लिए, न्यायालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। छुट्टी देने से पहले समझौता करते हुए, न्यायालय को ऐसे व्यक्तियों को इस तरह से नोटिस देने की आवश्यकता है जो उसे सूट में रुचि रखते हैं। यहाँ तक कि यह मानते हुए भी कि उत्तरदाता '

यह तर्क स्वीकार किया जाता है कि उक्त वाद आदेश I नियम 8 के तहत सख्ती से दायर नहीं किया गया था, इसे एक के रूप में माना जाएगा

आदेश XXIII नियम 3B के स्पष्टीकरण (ग) के प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधि वाद। स्पष्टीकरण (ग) में कहा गया है कि ' प्रतिनिधि वाद में ऐसे वाद शामिल हैं जिनमें पारित समझौता डिक्री उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी हो जाती है जिन्हें वाद में पक्षकारों के रूप में नामित नहीं किया गया है। ओ. एस. No.10/1974 में, पट्टकल कोयम्मकोया परिवार के करणवन के रूप में अपनी क्षमता में प्रतिवादी परिवार के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस अदालत के समक्ष अपीलकर्ताओं के पास [2019] 10 एस. सी. आर. हैं।

इसका पालन करने पर समझौता आदेश अमान्य हो गया। इसके अलावा, उपरोक्त प्रक्रियात्मक उल्लंघन के अलावा, समझौता डिक्री भी अवैध है क्योंकि यह वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 60 का पालन करने में विफल रहता है, जिसमें प्रावधान है कि वक्फ के मुतवल्ली द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई मुकदमा नहीं है। मुतवल्ली को वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बिना समझौता किया जाएगा। डिक्री से पहले वक्फ बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के बजाय, समझौता डिक्री में पैराग्राफ 7 में उल्लेख किया गया है कि उसमें लिए गए निर्णयों को बाद में वक्फ बोर्ड को सूचित किया जाना है। समझौता आदेश अवैध और अमान्य था। प्रथा के उन्मूलन का अनुमान केवल एक से नहीं लगाया जा सकता है

परिवार द्वारा उस प्रभाव के लिए किसी भी निरंतर आचरण के अभाव में व्यक्तिगत घोषणा (यानी पट्टकल कोयम्मकोया थंगल द्वारा डिक्री में की गई स्वीकृति)। प्रतिवादियों के परिवार को समझौता डिक्री पारित करने से पहले नोटिस नहीं दिया गया था और उसमें बनाई गई शर्तों के संबंध में उनका कोई कहना नहीं था, और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि डिक्री उनके खिलाफ बाध्यकारी है। इस प्रकार, अपीलार्थी यह स्थापित करने में सक्षम नहीं हुए हैं कि प्रत्यर्थियों के मुतवल्ली के पद पर रहने के प्रथागत अधिकार का उल्लंघन किया गया था।

1966 में समिति जो 1972 तक अस्तित्व में थी या समझौता डिक्री के कारण जिसे अमान्य घोषित किया गया है। [पैरा 30,32 और 33] [989-जी-एच; 90-सी, डी-एफ; 992-सी-एफ; 993-ए-डी]

1.6 इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि मुतवल्ली का वक्फ से संबंधित संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, और यह केवल एक

अधीक्षक या प्रबंधक। इसलिए, प्रत्यर्थियों का मुतवल्ली के पद का अधिकार वक्फ को उसके सार्वजनिक चरित्र से वंचित नहीं करता है। इसके अलावा, उत्तराधिकार के किसी भी प्रथागत अधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अधीन होगा, जो वक्फ बोर्ड को वक्फ के प्रशासन की निगरानी के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। भले ही मुतवल्ली वाकीफ के परिवार से संबंधित हो, लेकिन वह अलियथामुदा बीथेथियापुरा पूकोया v के मामले में हटाने से अछूता नहीं है।

पट्टाकल चेरियाकोया

वक्फ का कुप्रबंधन, और सामान्य विवेक और ईमानदारी के सिद्धांतों के अनुसार वक्फ का प्रशासन करना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं का प्रथागत अभ्यास मुतवल्ली के पद का अधिकार अनुचित है या सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करता है। प्रतिवादी इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत जुमा मस्जिद के मुतवल्ली के पद पर एक प्रथागत अधिकार स्थापित करने में सक्षम हुए हैं, जो अनुचित या सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं है। उत्तरदाताओं ने स्पष्ट और स्पष्ट साक्ष्य के माध्यम से दिखाया है कि पटक्कल परिवार के भीतर से लगातार नियुक्तियों के माध्यम से मुतवल्ली के पद के निरंतर और अपरिवर्तनीय हस्तांतरण की प्रथा, मस्जिद की स्थापना से ही शुरू होती है। यह प्रमाण यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि इस तरह का वंशानुगत हस्तांतरण मूल वाकीफ उबैदुल्ला के इरादे के अनुसार था, इसलिए वंशानुगत प्रथा को साबित करने के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

मुतवल्ली के कार्यालय का उत्तराधिकार। [पारस 34,35] [994-ए-बी; 995-बी-ई]

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। दिलबहार सिंह (2014) 9 एस. सी. सी. 78-इसके बाद। बाला शंकर मान शंकर भट्टजी बनाम। परोपकार

आयुक्त, गुजरात राज्य [1994] 2 सप्लीमेंट। एससीआर 687

- - पर भरोसा किया। सैयद अहमदकोया थंगल बनाम। प्रशासक, (1997) 2 के. एल. जे. 362; माउंट। सरदार बीबी बनाम। हक नवाज खान, ए. आई. आर. 1934 लाहौर 371; राम दास बनाम। ईश्वर चंदर (1988) 3 एससीसी 131: [1988] 1 पूरक। एस. सी. आर. 239; एतिमन्नेसा बीबी बनाम। अब्दुल सोभन, (1916) 43 कल 467; रे मोहम्मद हाजी हारून कडवानी आई. एल. आर. (1935) 59 बम 424; बीबी सैयदुन बनाम। सैयद अल्लाह अहमद डब्ल्यू. आर. 1864,327 (कलकत्ता उच्च न्यायालय); शाह गुलाम रहमतुल्ला साहिब बनाम। मोहम्मद अकबर साहिब 8 पागल। एच. सी. प्रतिनिधि।

63 (1875) ; फातमाबी बनाम। हाजी ए. मूसा साहिब (1915) 38 मद। 491 ; कलंदर बाचा साहिब बनाम। जेलानी साहिब ए. आई. आर. 1930 मद 554; एच. एच मीर अब्दुल हुसैन खान बनाम बीबी सोना डेरो एयर 1917 पी. सी. 181; रामलक्ष्मी अम्मल बनाम। शिवानंद पेरुमल सेतुरायर (1871-72) 14 मू आई ए 570; मुनियंडी कोन बनाम। श्री रामनाथ सेतुपति ए. आई. आर. 1982 मद्रास 170; के. ए. श्रीनिवास अय्यंगार बनाम। एस. रामानुजाचारियार 1941 (1) एम. एल. जे. 322-संदर्भित।

वक्फ के कानून में एस. ए. खादर (1999, पृष्ठ 33); मुल्ला मुसलमान कानून के सिद्धांत, 21 वीं संस्करण।, 2017, प्रो. इकबाल अली खान एडन।; फ़िज़ी की रूपरेखाएँ मुहम्मद कानून (5 वीं संस्करण।, 2008, प्रो. ताहिर महमूद एड।, पी। 49) – संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(1997) 2 के. एल. जे 362

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

पैरा 9

ए. आई. आर 1934 लाहौर 371

संदर्भित किया गया है

(2014) 9 एससीसी 78

पीछा किया।

पैरा 12

[1988] 1 पूरक। एससीआर 239

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[1994] 2 पूरक। एससीआर 687

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

(1916) 43 कैल 467

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

(1935) 59 बम 424

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

डब्ल्यू. आर. 1864,327

पै

रा 17

संदर्भित किया गया है

8 पागल। एच. सी. प्रतिनिधि। 63 (1875) संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

(1915) 38 पागल। 491

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

एयर 1930 मैड 554

पै

रा 19

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1917 पी. सी. 181

पै

रा 23

(1871-72) 14 मू आई ए 570

पै

रा 23

संदर्भित किया गया है

आकाशवाणी 1982 मद्रास 170

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

1941 (1) एम. एल. जे 322

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.958

2010

उच्च न्यायालय के 18.12.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2006 (ए) के सी. आर. पी. सं. 460 में एर्नाकुलम में केरल का

के साथ

सिविल अपील सं। 9588 , 9587 2010 का

शेखर नाफडे, Sr.Adv।, विवेक चिब, सुश्री प्रचेता

कौशल शर्मा, नीरज शेखर, ए. रघुनाथ, सैयद नीलमुक अलियाथाममुदा बीथथथेबियापुरा पूकोया बनाम।

पट्टाकल चेरियाकोया

सैयद सैफुद्दीन, एस. लक्ष्मीयू अय्यर, अभिकल्प प्रताप सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

आर. बसंत, थॉमस पी. जोसेफ, वरिष्ठ अधिवक्ता। , के. राजीव, ए. रघुनाथ, ई. एम. एस. अनम, ए. डी. सीकरी, राजीव मेहता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मोहन एम. शांतनगौदर, जे.

1. अपीलार्थी के नाम हटाने के लिए 2010 की सिविल अपील संख्या 9586 में 2018 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 93605। 3 और 4 और पक्षकारों की श्रेणी से प्रतिवादी संख्या 7 की अनुमति है।

2. ये अपीलें सी. आर. पी. संख्या में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 18.12.2007 निर्णय से उत्पन्न होती हैं। 460/2006 और

462/2006 . विवादित फैसले द्वारा, उच्च न्यायालय ने ओ. एस. नं. 1/1998 का फैसला सुनाया और ओ. एस. नं. 1/2001 को खारिज कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि इन अपीलों में सामान्य उत्तरदाताओं द्वारा ओ. एस. सं. 1/1998 दायर किया गया था, जबकि ओ. एस. सं. 1/2001 अपीलार्थियों द्वारा सी. ए. सं. में दायर किया गया था। 9587 / 2010 और 9588/2010।

3. वर्तमान विवाद मुतवल्ली के कार्यालय से संबंधित है

लक्षद्वीप में स्थित एंड्रोट जुमा मस्जिद। मस्जिद है

पट्टाकल परिवार की थवाज़ी (स्त्री वंश के माध्यम से वंशजों की शाखाएँ)। वे एक संत उबैदुल्ला के वंशज होने का दावा करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एंड्रोट जुमा मस्जिद का निर्माण किया था, और जो इसके वंशज थे। पहले मुतवल्ली। इस प्रकार, वे दावा करते हैं कि प्रथागत परंपरा के अनुसार, मस्जिद के मुतवल्ली का पद उनके परिवार के पास निहित है। यह उनका मामला है कि परिवार के सदस्य आपस में मुतवल्ली का चयन करते हैं, और प्रतिवादी संख्या 1 मस्जिद के वर्तमान मुतवल्ली के रूप में काम कर रहा है।

सी. ए. सं. 9586/2010 में अपीलार्थी इसके सदस्य हैं

अलीयतामुदा थरावद और मस्जिद में खतीब (उपदेश देने वाले) होने का दावा करते हैं। संबंधित अपीलों में अपीलार्थी सी. ए. सं. 9587 / 2010 और 9588/2010 लक्षद्वीप के एंड्रोट द्वीप के निवासियों के प्रतिनिधियों के रूप में मुकदमा करने का दावा करते हैं। इन तीन अपीलों में अपीलकर्ताओं का आम तर्क यह है कि जुमा मस्जिद का निर्माण एंड्रोट द्वीप के निवासियों द्वारा किया गया था और इसे पहली बार 'अमीन [2019] 10 एस. सी. आर. द्वारा प्रशासित किया गया था।

और करणवन प्रणाली (यानी स्थानीय परिवारों के नामित प्रमुखों द्वारा सहायता प्राप्त कार्यकारी अधिकारी द्वारा), और बाद में 1966-1972 से निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा। 1966-1972 से ऐसी समिति के अध्यक्ष उत्तरदाताओं के पूर्ववर्ती पट्टकल कोयम्मकोया थंगल थे, जिन्हें 1974 में एक विवाद उत्पन्न होने के बाद राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जबकि सी. ए. सं. 9586/2010 में अपीलकर्ता दावा करते हैं कि एक निर्वाचित व्यक्ति द्वारा प्रबंधन की प्रणाली विवाद के बाद समिति जारी रही, संबंधित अपीलों में अपीलार्थी सी. ए. सं. 9587/2010 और 9588/2010 का दावा है कि इस विवाद के कारण मस्जिद का प्रबंधन टूट गया। हालाँकि, उनका आम दावा यह है कि उत्तरदाताओं को कभी भी मुतवल्ली के पद का प्रथागत अधिकार नहीं था, और मुतवल्ली का चयन करने का अधिकार स्थानीय क्षेत्र के लोगों के पास होना चाहिए।

4. यह उनका आम दावा भी है कि अपीलार्थियों के बीच ओ. एस. संख्या 10/1974 में 16.02.1981 पर एक समझौता डिक्री पारित की गई थी। पूर्ववर्ती और पट्टकल कोयम्मकोया थंगल, जिसके अनुसार मस्जिद का प्रबंधन स्थानीय निवासियों द्वारा चुनी गई समिति द्वारा किया जाना था। अपीलार्थियों का तर्क है कि भले ही प्रत्यर्थियों के पास कोई प्रथागत अधिकार निहित था, लेकिन समिति के गठन और समझौता डिक्री के पारित होने से इसका उल्लंघन हुआ। हालांकि,

बाद में, उत्तरदाताओं ने ओ. एस. सं. 1/1998 के समक्ष दीवानी मुकदमा दायर किया।

शुरू में, मुकदमे का फैसला उनके पक्ष में किया गया था, लेकिन अपील पर उच्च न्यायालय ने इसे नए सिरे से निपटाने के लिए वक्फ न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया। 5. रिमांड के बाद, वक्फ ट्रिब्यूनल ने अपने दिनांक 1 के फैसले में कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मस्जिद का प्रबंधन एक निर्वाचित समिति द्वारा किया जा रहा था। यद्यपि न्यायाधिकरण ने घोषणा की कि ओ. एस. सं. 10/1974 में समझौता विलेख अमान्य था, क्योंकि न्यायालय की अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया था, और प्रतिवादियों के परिवार को सिविल के आदेश XXIII नियम 3 बी के तहत आवश्यक नोटिस नहीं दिया गया था।

प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "सी. पी. सी".) में पाया गया कि उत्तरदाताओं ने अपनी ओर से यह दिखाने के लिए कोई सकारात्मक सबूत पेश नहीं किया था कि उबैदुल्ला जुमा मस्जिद का पहला मुतवल्ली था, और यह कि प्रथा मुतवल्ली के पद का अधिकार उनके परिवार यानी पट्टकल परिवार के पास निहित था। बल्कि, मस्जिद के प्रबंधन का अधिकार स्थानीय निवासियों के पास निहित था। इसलिए, इसने मुकदमे को खारिज कर दिया और वक्फ बोर्ड के साथ-साथ पक्षों को अलीयतामुदा बीथेथियापुरा पूकोया बनाम के प्रबंधन के लिए एक योजना का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया।

पटाकल चेरियाकोया [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

मस्जिद। इस फैसले के खिलाफ, प्रतिवादियों ने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की उच्च न्यायालय के समक्ष।

6. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में पाया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उत्तरदाताओं के अलावा किसी के पास था

किसी भी समय मस्जिद के मुतवल्ली के रूप में कार्य करता था। इसने अभिनिर्धारित किया कि 1966-1972 से अस्तित्व में समिति केवल मस्जिद की मरम्मत और रखरखाव की देखरेख के लिए एक समिति थी, न कि उसके प्रबंधन के लिए, और न्यायाधिकरण के तर्क से सहमत थी

समझौता डिक्री के अमान्य होने के संबंध में। इस आधार पर, इसने फैसला सुनाया कि मुतवल्ली का कार्यालय प्रथा द्वारा उत्तरदाताओं के पास निहित था।

इसलिए, हमारे सामने विभिन्न अपीलकर्ताओं द्वारा ये अपीलें की गई हैं।

7. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न अपीलार्थियों के वकील ने स्वीकार किया है कि मुतवल्ली का कार्यालय एक प्रथागत कार्यालय हो सकता है। हालाँकि, उनका तर्क है कि ऐसा पद प्रथा द्वारा केवल तभी विरासत में मिल सकता है जब यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया हो और साबित किया गया हो, जो इस मामले में उत्तरदाताओं द्वारा नहीं किया गया था।

8. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री शेखर नाफडे ने हमारे सामने जोरदार तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 (9) के तहत अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के दायरे को पार कर लिया है और रिकॉर्ड पर साक्ष्य की पुनः सराहना करके पहले अपीलीय न्यायालय की तरह काम किया है और उच्च न्यायालय ने किंवदंतियों, पौराणिक कथाओं, कल्पनाओं पर भरोसा करके उत्तरदाताओं के प्रथागत अधिकार का फैसला किया है।

और पुरानी सामग्री, जो विशेष रूप से यह नहीं बताती है कि उबैदुल्ला जुमा मस्जिद का पहला मुतवल्ली था।

यह कि 'फुथुहातुल जेसैर' (पूर्व ए 37) पुस्तक पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह मुकदमा दायर करने के बाद प्रकाशित हुई थी, और प्रतिवादी संख्या 2 ने ओ. एस. संख्या में अपने बयान में स्वीकार किया कि यह

यह उनके चाचा के बहनोई ने लिखा था। अपीलार्थियों के अनुसार, यह उद्देश्यपूर्ण रूप से उत्तरदाताओं के मामले का समर्थन करने के लिए लिखा गया था। यह दिखाने के लिए कि पट्टाकल परिवार 1921 और 1923 में मस्जिद का प्रबंधन नहीं कर रहा था, पूर्व बी8 और पूर्व बी9 पर भी भरोसा रखा गया था।

लक्षद्वीप द्वीप समूह में काजी और मुतवल्ली का कार्यालय एक ही है और सैयद अहमदकोया में केरल उच्च न्यायालय है।

थंगल वी. प्रशासक, (1997) 2 के. एल. जे. 362 ने अभिनिर्धारित किया था कि उत्तरदाताओं के परिवार अर्थात पट्टाकलों को काजी के पद पर वंशानुगत अधिकार नहीं था और इसलिए वे काजी अधिनियम, 1880 के तहत काजी की नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकते थे। इस क्रम ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, यह [2019] 10 एस. सी. आर.

अब उत्तरदाताओं के लिए मुतवल्ली के पद के वंशानुगत अधिकार के पक्ष में बहस करने के लिए खुला नहीं था, जब काजी के पद के लिए इस तरह के अधिकार से इनकार कर दिया गया है; और यह कि प्रतिवादी स्वयं ओ. एस. सं. <आई. डी. 1 में वाद में स्वीकार करते हैं कि मुतवल्ली और काजी का कार्यालय एक ही है, लेकिन आसानी से राहत में केवल मुतवल्ली का कार्यालय चाहते हैं।

परिवार की कौन सी शाखा मुतवल्ली के पद पर बनी रहेगी, और वही उत्तरदाताओं के मामले को नकारती है कि यह परिवार के भीतर एक वंशानुगत अधिकार था। यह कि समझौता डिक्री उत्तरदाताओं के खिलाफ बाध्यकारी है क्योंकि न्यायाधिकरण द्वारा उसमें पाई गई अनियमितता केवल प्रक्रियात्मक थी, और यह कि यह दिखाने का बोझ उत्तरदाताओं पर था कि डिक्री अमान्य थी, क्योंकि भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 114 (ई) के तहत एक धारणा है कि न्यायिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं।

अंत में, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एंड्रोट द्वीप की जनता की हमेशा भूमिका रही है

मस्जिद का प्रबंधन, जो सार्वजनिक वक्फ के रूप में पंजीकृत है, और

भले ही उत्तरदाताओं को मुतवल्ली के पद का प्रथागत अधिकार हो, लेकिन सार्वजनिक वक्फ के प्रबंधन अधिकारों को एक परिवार में निहित करना सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।

9. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि दस्तावेजी साक्षय से पता चलता है कि यह उत्तरदाताओं का परिवार था जो मस्जिद की संपत्ति का प्रबंधन कर रहा था। दूसरी ओर, कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था

यह दर्शाता है कि 1966 में गठित जन प्रतिनिधियों की समिति मस्जिद का प्रबंधन कर रही थी।

उन्होंने वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 और 5 के संबंध में न्यायाधिकरण के समक्ष दिए गए तर्क को दोहराया, जिसके तहत वक्फ बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण द्वारा उचित जांच के बाद वक्फ की एक सूची प्रकाशित की जाती है।

कमिश्नर। न्यायाधिकरण के समक्ष, प्रत्यर्थियों ने एक्सए 3 प्रस्तुत किया था,

लक्षद्वीप वक्फ बोर्ड द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना जिसमें धारा 5 के तहत प्रकाशित वक्फों की सूची है, जिसमें दिखाया गया है कि जुमा मस्जिद के मुतवल्ली का पद "अमीनों की देखरेख में पट्टकल (परिवार) के सदस्यों द्वारा आयोजित किया गया था और

करणवंस "। विद्वान वकील ने वक्फ के सांविधिक रजिस्टर में प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति, एक्स ए 4 और एक्स ए 5, और अलियथामुडा बीथेथियापुरा पूकोया वी का भी उल्लेख किया।

पटाकल चेरियाकोया [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

वक्फ पंजीकरण के लिए रसीद क्रमशः 5.3.1967 दिनांकित है, दोनों में उत्तरदाताओं के पूर्ववर्ती पट्टकल कोयम्मकोया का नाम जुमा मस्जिद के लिए मुतवल्ली के रूप में दिखाया गया है।

विद्वान वकील ने इस दावे का खंडन करने के लिए इन दस्तावेजों पर भरोसा किया कि 1966 में गठित समिति मस्जिद का प्रबंधन कर रही थी

उस समय। इसके अलावा, चूंकि इन दस्तावेजों को अपीलकर्ताओं द्वारा वाद की स्थापना के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए वे अब यह दावा नहीं कर सकते थे कि प्रतिवादी मुतवल्ली का पद नहीं संभाल रहे थे।

प्रत्यर्थियों ने माउंट में लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया। सरदार बीबी बनाम। हक नवाज खान, आकाशवाणी

1934 लाहौर 371, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी परिवार या समुदाय द्वारा लंबे समय से प्रचलित प्रथा को केवल व्यक्तिगत घोषणा द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के निरसन का अनुमान परिवार या समुदाय के विस्तारित अवधि के आचरण से लगाया जाना चाहिए। इसलिए, भले ही समिति या समझौता डिक्री के संबंध में अपीलकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार कर लिया गया हो, लेकिन प्रत्यर्थियों के मुतवल्ली के पद के प्रथागत अधिकार को केवल निरस्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि पट्टक्कल कोयम्मकोया थंगल ने समिति की अध्यक्षता संभाली या पट्टकल परिवार के करणवन के रूप में दिनांकित समझौता किया।

उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने अंत में जोर देकर कहा कि दोनों न्यायालयों ने सही माना है कि समझौता डिक्री दिनांकित 16.02.1981

यह न केवल अवैध था बल्कि अमान्य भी था; यह केवल 1920 के दशक में कुछ छोटे अंतरालों के कारण था जिसमें पट्टाकल परिवार का पद नहीं था। मुतवल्ली, परिवार द्वारा आयोजित प्रथागत पद को बंद नहीं किया जा सकता था; और केवल कृत्रिम अवकाश, वह भी छोटी अवधि के लिए और केवल कुछ अवसरों पर, कानून में, पट्टकल मुतवल्ली द्वारा मस्जिद के प्रशासन में निरंतरता को नहीं तोड़ सकता था।

10. उपरोक्त तर्कों से निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न होते हैं:

सबसे पहले, क्या उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के दायरे को पार कर लिया है; और

दूसरा, क्या प्रत्यर्थियों ने दलील दी है और साबित किया है कि उन्हें जुमा में मुतवल्ली के पद पर प्रथागत अधिकार है मस्जिद।

11.वक्फ [2019] 10 एस. सी. आर. के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के दायरे पर अपीलार्थियों के तर्क के संबंध में।

न्यायाधिकरण, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 (9) पर ध्यान देना उचित है जिसमें कहा गया है कि:

" किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी चाहे वह अंतरिम हो। या अन्यथा, न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया या बनाया गया:

बशर्ते कि कोई उच्च न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या बोर्ड या किसी व्यथित व्यक्ति का आवेदन, और

किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले से संबंधित अभिलेखों की जांच करें।

जो न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है

इसकी शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना।

निर्धारण और इस तरह की पुष्टि, उलट या संशोधित कर सकते हैं ऐसा अन्य आदेश निर्धारित करें या पारित करें जो वह उचित समझे।

(जोर दिया गया)

12. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आम तौर पर, जबकि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय को निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के सभी निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, उच्च न्यायालय तथ्य के निष्कर्ष को सही कर सकता है यदि यह भौतिक साक्ष्य पर विचार किए बिना किया गया है, साक्ष्य के गलत अध्ययन पर आधारित है, घोर रूप से गलत है कि इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी, या अन्यथा कानून के अनुसार नहीं है (हिंदुस्तान में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय देखें। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। दिलबहार सिंह (2014) 9 एस. सी. सी. 78)। महत्वपूर्ण रूप से, इस तरह के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का दायरा व्यापक होता है जब उच्च न्यायालय को उस क़ानून के तहत निचले न्यायालय के आदेश की वैधता या औचित्य की जांच करने की शक्ति निहित होती है जिससे पुनरीक्षण शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय तथ्य के निष्कर्षों की शुद्धता की भी जांच कर सकता है, और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है (राम दास बनाम देखें। ईश्वर चंदर (1988) 3 एस. सी. सी. 131)। यह इस परिप्रेक्ष्य में है कि अपीलार्थियों के तर्क पर विचार किया जाना चाहिए।

13. जैसा कि न्यायाधिकरण ने सही कहा है, यह विवादित नहीं है कि उबैदुल्ला

एंड्रोट आया था और द्वीप के लोगों को हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि प्रतिवादी/वादी थे

सर्वसम्मत राय थी कि उबैदुल्ला मस्जिद के पहले काजी/मुतवल्ली थे और उनके परिवार के सदस्यों ने काजी उत्तराधिकार में। हालाँकि, इन टिप्पणियों के बावजूद, न्यायाधिकरण ने इस प्रभाव का निष्कर्ष नहीं निकाला कि प्रतिवादी उत्तराधिकार में मुतवल्ली का पद संभाल रहे थे।

इसके बजाय, इसने निष्कर्ष निकाला कि अलियाथाम्मुदा बीथाथेबियापुरा पूकोया बनाम।

पटाकल चेरियाकोया [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

कि उबैदुल्ला एक विदेशी था जिसके पास द्वीप पर भूमि नहीं हो सकती थी, और इसलिए, उसके द्वारा मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता था, और इस बात का कोई सकारात्मक सबूत नहीं था कि वह और उसके वंशज जुमा मस्जिद के मुतवल्ली थे।

उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण के निष्कर्ष उसकी पहले की टिप्पणियों का खंडन करते हैं और कहा कि चूंकि मस्जिद का निर्माण किया गया था

बहुत पहले सातवीं शताब्दी में, अभिलेख पर ऐतिहासिक सामग्री के अलावा कोई अन्य प्रमाण यह दिखाने के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता था कि सभी संभावनाओं में, उबैदुल्ला ने वास्तव में मस्जिद का निर्माण किया था। मस्जिद के निर्माण, या खुद मस्जिद के निर्माण आदि के लिए भूमि के दान का कोई विशिष्ट या प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता है। अदालत की राय सही थी कि न्यायाधिकरण को साबित हुए सभी ऐतिहासिक तथ्यों पर ध्यान देने के बाद सकारात्मक सबूत के लिए आगे की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में

वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्षों की पुनः सुनवाई या पुनर्मूल्यांकन में प्रवेश नहीं किया है। बल्कि, न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि न्यायाधिकरण ने दीवानी मुकदमे में लागू किए जाने वाले सबूत के उचित मानक, यानी संभावना की प्रधानता के मानक को लागू नहीं किया है।

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने किसी भी तरह से अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के दायरे को पार कर लिया है।

14. अपीलार्थियों के इस तर्क पर विचार करना कि पट्टकल परिवार को जुमा के मुतवल्ली के पद पर प्रथागत अधिकार नहीं था

मस्जिद, हम पहले उत्तरदाताओं के विभाजन विलेखों के संबंध में अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए छोटे तर्क को संबोधित कर सकते हैं। न्यायाधिकरण ने अपने

निर्णय में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि विभाजन विलेख केवल थरावद के भीतर संपत्तियों के विभाजन से संबंधित हैं और मस्जिद के प्रबंधन के अधिकार से संबंधित नहीं हैं। उत्तरदाता स्वयं मुतवल्ली के पद को एक प्रथागत अधिकार के रूप में दावा कर रहे हैं, न कि स्वामित्व अधिकार के रूप में।

15. अब हम अपीलार्थियों के इस तर्क को संबोधित करना चाहेंगे कि उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री यह दर्शाती है कि उनके पास है मुतवल्ली के पद पर लगातार बने रहने पर [2019] 10 एस. सी. आर. पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था।

उच्च न्यायालय द्वारा, क्योंकि वे समकालीन नहीं थे और प्रकृति में काल्पनिक थे। हम नीचे दिए गए कारणों से इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं।

हमने उस सामग्री का अध्ययन किया है जिस पर उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों के दावे को स्वीकार करने के लिए भरोसा किया है। पहला है एक्स ए 36, ए शॉर्ट

1924 में आर. एच. एलिस द्वारा प्रकाशित लैकाडिव द्वीप समूह और मिनिकॉय का लेखा। एलिस उस समय क्षेत्र के कलेक्टर थे। पुस्तक में पृष्ठ 16 पर उल्लेख किया गया है कि संत उबैदुल्ला को इस क्षेत्र में पहला मुसलमान (धर्मांतरण करने वाला) माना जाता था, और 1920 तक उनके वंशजों ने एंड्रोट द्वीप के काजी का पद संभाला। दूसरा तैयार किया गया एक नोट है। 1977 में लक्षद्वीप द्वीपों के लिए राजपत्रक द्वारा। हालाँकि इस दस्तावेज़ को एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित नहीं किया गया था, अपीलार्थियों के वकील ने कहा कि फिर भी इसे न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था और उस पर भरोसा किया गया था। पृष्ठ 44 पर इस प्रकाशन में कहा गया है कि उबैदुल्ला एंड्रोट में पहले मुसलमान थे और उनकी कब्र एंड्रोट मस्जिद के भीतर स्थापित है और उन्हें गहरी पूजा के साथ माना जाता है।

उच्च न्यायालय ने दीपोलपैथी (1960 में प्रकाशित) (पूर्व ए 35) पुस्तक में इस अवलोकन का भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी पट्टकल परिवार था संत उबैदुल्ला के वंशज, जो मस्जिद के पहले काजी थे,

और यह कि पट्टकल परिवार के सदस्य इसके पारंपरिक काजी थे, और लेखन के समय भी ऐसे ही बने रहे। उच्च न्यायालय ने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका (संस्करण अनिर्दिष्ट) में एक प्रविष्टि के साथ-साथ अरबी पुस्तक फुथुहातुल जेसैर (एक्स ए 37) में कुछ टिप्पणियों की भी सराहना की।

हम उच्च न्यायालय की राय से सहमत हैं कि चूंकि यह मुद्दा लगभग 1300-1400 वर्ष पहले निर्मित एक मस्जिद से संबंधित है, इसलिए यह है उसी के निर्माण का समकालीन प्रमाण खोजना असंभव है। लक्षद्वीप द्वीप समूह के राजपत्र ने हाल ही में 1977 में दर्ज किया है कि उबैदुल्ला एंड्रोट में पहले मुसलमान थे और उन्हें एंड्रोट मस्जिद में दफनाया गया है। राजपत्रकार के साथ-साथ तत्कालीन कलेक्टर आर. एच. एलिस ने निवासियों के धर्मांतरण की तारीख से संबंधित अशुद्धियों के बावजूद इस खाते को विश्वास दिलाया।

इस स्तर पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजपत्र एक आधिकारिक है।

सार्वजनिक मामलों का साक्षय देने वाला अभिलेख और इसकी वास्तविकता को साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 81 के तहत माना जाता है। इसके अलावा, साक्षय अधिनियम की धारा 35 के तहत, राजपत्रकार द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में की गई प्रविष्टि एक प्रासंगिक तथ्य है।

राजपत्रकार द्वारा अभिलिखित कोई भी तथ्य अलियथमुद बीथेथियापुरा पूकोया v.

पटाकल चेरियाकोया [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

तथ्य-इन-इश्यू (बाला शंकर मन शंकर भट्टजी बनाम देखें। चैरिटी कमिश्नर, गुजरात राज्य, 1994 सप्लीमेंट। (2) एससीआर 687)। इस तरह के रिकॉर्ड को अपीलकर्ताओं द्वारा केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह हाल का प्रकाशन नहीं है। इसके अलावा, द्वीप के निवासियों के धर्मांतरण की तारीख के बावजूद, उबैदुल्ला का मस्जिद से कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं था।

उन्हें वहाँ दफनाने और कब्र की पूजा करने का कोई कारण नहीं रहा होगा। भले ही पुस्तक फुथुहातुल जेसैर (पूर्व ए 37) की इस आधार पर अवहेलना की गई हो कि यह प्रतिवादी नंबर 2 के रिश्तेदार द्वारा लिखी गई थी (वह भी मुकदमा दायर होने के बाद), अन्य स्वतंत्र ऐतिहासिक सामग्री इस बात की पुष्टि करती है कि उबैदुल्लाह पहले मुतवल्ली थे।

मस्जिद, कि उन्होंने एक धर्मांतरित महिला से शादी की और पट्टाकल की स्थापना की थरावद, और यह कि उनकी मृत्यु के बाद, उनके वंशज, यानी पट्टकल परिवार, काजी का पद संभाल रहे थे और बारी-बारी से मुतवल्ली के रूप में मस्जिद का प्रबंधन कर रहे थे।

इसके अलावा, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही कहा है, ये सामग्री द्वीप के इतिहास, इसके प्रशासन, स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था आदि का उल्लेख करती हैं, जो सभी ऐतिहासिक तथ्यों और इन सामग्रियों का गठन करते हैं। ऐतिहासिक साहित्य के रूप में योग्य। इसलिए, हम अपीलार्थियों के इस तर्क से असहमत हैं कि ये सामग्री पौराणिक या पौराणिक प्रकृति की हैं।

दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं ने कोई विपरीत ऐतिहासिक राय प्रस्तुत नहीं की है जिसमें कहा गया है कि उबैदुल्ला पहला मुतवल्ली नहीं था और यह कि उनके वंशजों ने मुतवल्ली के पद पर बने रहना जारी नहीं रखा, या यह दिखाने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण कि मस्जिद का प्रबंधन स्थानीय निवासियों या एक समिति द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं कि प्रतिवादियों ने मस्जिद की स्थापना के बाद से ही मस्जिद के मुतवल्ली का पद संभाला है।

16. अब यह देखा जाना बाकी है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया था, वह एक प्रथागत अधिकार स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी। प्रत्यर्थियों के पक्ष में मुतवल्ली का कार्यालय। हम इस स्तर पर दोहराना चाहते हैं कि यह विवाद में नहीं है कि यह पद प्रथागत हो सकता है। यह [2019] 10 एस. सी. आर. में 'मुतवल्ली' की परिभाषा से भी स्पष्ट है।

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 3 (i), जिसमें एक व्यक्ति शामिल है जो किसी भी प्रथा के आधार पर मुतवल्ली है। 17. शुरुआत में, यह ध्यान रखना उचित है कि मुस्लिम कानून मुतवल्ली के पद पर उत्तराधिकार के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता नहीं देता है। में।

एतिमन्नेसा बीबी बनाम। अब्दुल सोभन, (1916) 43 कल 467, कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव को निम्नानुसार निर्धारित किया:

" ..... यद्यपि संस्थापक के वंशज को वरीयता दी जाती है।

मुतवल्ली के कार्यालय का दावा करता है, वह नहीं बन जाता है

मुतवल्ली विरासत के अधिकार से लेकिन नियुक्त किया जाना है ऐसा "कादी" द्वारा जो योग्य नहीं है तो उसका स्थान ले सकता है। "

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रे मोहम्मद हाजी हारून कडवानी, आई. एल. आर. (1935) 59 में लगभग एक समान स्थिति ली थी।

बम 424। इसी तरह, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीबी सैय्यदुन बनाम. सैयद अल्लाह अहमद, डब्ल्यू. आर. 1864,327 ने माना कि मुस्लिम धार्मिक दानों में कार्यालयों में वंशानुगत उत्तराधिकार की संभावना बहुत कम है।

18. हालाँकि, मुस्लिम कानून पर विभिन्न विद्वानों का मानना है कि इस तरह के अधिकार को कुछ अपवादों के आधार पर दिखाया जा सकता है, जो

इसमें उस प्रभाव के लिए एक प्रथा का निर्माण शामिल है। इस संबंध में, हम कर सकते हैं

वक्फ के कानून (1999, पृष्ठ 33) में एस. ए. खादर द्वारा निम्नलिखित चर्चा का उल्लेख करें।

" मुतवल्ली के पद पर वंशानुगत अधिकार: मुस्लिम कानून नहीं है

मुतवल्ली के पद पर विरासत या वंशानुगत उत्तराधिकार के शासन के किसी भी अधिकार को मान्यता दें। इसके दो अपवाद हैं।

सिद्धांत:

(1) जहां संस्थापक ने कार्यालय में वंशानुगत उत्तराधिकार का नियम निर्धारित किया है, उस स्थिति में नियम का पालन करना होगा।

को, और

(2) जहां मुतवल्ली का पद प्रथा द्वारा वंशानुगत हो जाता है, उस स्थिति में प्रथा का पालन किया जाना चाहिए। (जोर दिया गया)

इसी तरह का अवलोकन मुलेन के सिद्धांतों द्वारा किया गया है

पृष्ठ 253 पर मुहम्मद लॉ (21 वां संस्करण, 2017, प्रो. इकबाल अली खान संस्करण) (संक्षिप्त में "मुल्ला"):

" मुसलमान कानून मुतवल्ली के पद पर विरासत के किसी भी अधिकार को मान्यता नहीं देता है।

लेकिन कार्यालय वंशानुगत बन सकता है अलियथमुद बीथेथियापुरा पूकोया बनाम।

पटाकल चेरियाकोया [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

प्रथा के अनुसार, इस मामले में, प्रथा का पालन किया जाना चाहिए। (जोर दिया गया)

19. हमने विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों पर भी उचित विचार किया है जो उपरोक्त टिप्पणियों का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। चूंकि वे मानते हैं कि वंशानुगत उत्तराधिकार के खिलाफ सामान्य नियम में अपवाद किया जा सकता है और इस तरह के अपवाद को साबित करने के लिए इस संबंध में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

शाह गुलाम रहुमतुल्ला साहिब बनाम। मोहम्मद अकबर साहिब, 8 मैड। एच. सी. प्रतिनिधि। 63 (1875) , उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या वक्फ के संरक्षक का कार्यालय इसके माध्यम से हस्तांतरित हो सकता है

ज्येष्ठाधिकार। अदालत ने इस मामले में राय दी कि वक्फ के संरक्षक के पद पर उत्तराधिकार के मामलों में, उत्तराधिकार का निर्धारण वक्फ के संस्थापक द्वारा स्थापित नियमों के संदर्भ में किया जाएगा, जिसका उपयोग के साक्षय से अनुमान लगाया जा सकता है।

इस संबंध में एक अन्य प्रमुख उदाहरण फातमाबी बनाम है। हाजी ए. मूसा साहिब, (1915) 38 मद। 491. इस मामले में, पिछले मुतवल्ली के एक उत्तराधिकारी ने वंशानुगत हस्तांतरण के माध्यम से पद पर दावा किया। इस पृष्ठभूमि में, मद्रास उच्च न्यायालय ने पृष्ठ 494 पर निम्नलिखित टिप्पणी की:

" जहाँ मुतावल्लियों की नियुक्तियों की एक श्रृंखला रही है, वहाँ आम तौर पर यह माना जाता है कि नियुक्तियाँ वैध रही हैं, जो

इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी नियुक्तियां उस तरीके से संबंधित मूल समर्पण की शर्तों के अनुसार की गई हैं जिसमें क्रमिक नियुक्तियां की जानी हैं। (जोर देना

आपूर्ति की गई)

पृष्ठ 495 पर आगे यह देखा गया:

" कानून प्रत्येक वक्फ के मुतवल्ली को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार नहीं देता है, लेकिन यदि किसी विशेष वक्फ के संबंध में यह साबित हो जाता है कि मुतवल्ली इस प्रथा में रहे हैं -
अपने उत्तराधिकारियों को नामित करते हुए, यह माना जाता है कि इस प्रथा का एक वैध मूल था और यह वक्फनामा में निहित कुछ प्रावधानों या मुतावल्लियों को अपने उत्तराधिकारियों को नामित करने के लिए सशक्त करने वाले वक्फ द्वारा दिए गए कुछ मौखिक निर्देशों पर आधारित था। मुतावल्लियों को अपने उत्तराधिकारियों को नामित करने के लिए सशक्त बनाने वाले वक्फनामा में प्रावधान इतने सामान्य हैं कि

यह शायद अधिकारियों की वर्तमान स्थिति का प्रतिनिधित्व करेगा यदि यह कहा जाता कि अदालतें समर्पण, [2019] 10 एस. सी. आर. में इस तरह के प्रावधान के अस्तित्व को मानती हैं।

जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। इसलिए यह देखा जाएगा कि ए

आरोप के आधार पर दावा करें कि या तो कार्यालय वंशानुगत है या

कि मुतवल्ली ने दावेदार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है

अंततः वास्तविक या अनुमानित का संदर्भ है

समर्पण के समय वक्फ के निर्देश "।

(जोर दिया गया)

न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि उसका एक दावा

पुनर्वितरण उत्तराधिकार को स्वीकार किया जा सकता है यदि यह वक्फ (यानी वक्फ के संस्थापक) द्वारा उस प्रभाव की दिशा में स्थापित किया जाता है। इस तरह के निर्देश की कल्पना वक्फ के परिवार के सदस्यों के बीच की गई लगातार नियुक्तियों की प्रथा से की जा सकती है।

हालाँकि, उपरोक्त निर्णय में, न्यायालय ने यह भी कहा कि

सार्वजनिक वक्फ के मामले में इस तरह की प्रथा के संबंध में प्रमाण का मानक उस वक्फ की तुलना में अधिक सख्त होगा जिसका उद्देश्य संस्थापक के परिवार के रखरखाव के लिए प्रावधान करना था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने फतमाबी के उक्त मामले में फतमाबी के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह अपने परिवार से केवल तीन क्रमिक नियुक्तियां दिखाने में सक्षम थी, और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि ऐसे व्यक्ति विरासत के अधिकार के मामले में सफल हुए थे।

इसी तरह, कलंदर बाचा साहिब बनाम। जेलानी साहिब, आकाशवाणी 1930

554 में, वादी ने ट्रस्टी के पद के अधिकार का दावा किया, जो पूर्ववर्ती का सबसे करीबी पुरुष उत्तराधिकारी था। मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जबकि एक के रूप में नियुक्त होने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं था

मुसलमान कानून के तहत वंशानुगत न्यासी, जब संस्थापक ने इरादा किया था न्यासी की वंशानुगत स्थिति, न्यासियों की नियुक्ति में ऐसे तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसा करने के लिए मजबूत कारण न हों। इस मामले में, यह पाया गया कि न्यास के हस्तांतरण का इतिहास, न्यास के मूल संस्थापक से लेकर, यह दर्शाता है कि न्यासी की नियुक्ति हमेशा संस्थापक के परिवार से की जाती थी, और इसलिए न्यासी के पद को वंशानुगत माना जाता था। तदनुसार, मुकदमे का फैसला सुनाया गया।

20. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन निर्णयों को लिया गया है

यह अभिनिर्धारित किया गया कि मुस्लिम कानून के तहत मुतवल्ली के पद पर वंशानुगत उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं है, अपीलार्थियों के इस तर्क का समर्थन नहीं करता है कि उन निर्णयों में पुष्टि किए गए सामान्य नियम के लिए प्रथा के माध्यम से कोई अपवाद नहीं हो सकता है।

आलियाथाम्मुदा बीथेथेबियापुरा पूकोया वी।

पटाकल चेरियाकोया [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

अटिमन्नेसा (सुप्रा) और रेमहमद हाजी (सुप्रा) में, क्योंकि दावेदार वंशानुगत सुक की प्रथा के अस्तित्व का अनुरोध नहीं करते थे

सत्र, न्यायालय के पास इस पहलू पर निर्णय देने का अवसर नहीं था, और

इसलिए दोनों निर्णय इस संबंध में चुप हैं। बेबी सैय्यदुन (ऊपर) में, जबकि यह माना गया था कि पर्याप्त सबूत के अभाव में

21. अंत में, वक्फ अधिनियम, 1995 स्वयं स्वीकार करता है कि एक वक्फ में वंशानुगत मुतवल्ली हो सकती है। यह परंतुक से स्पष्ट है कि धारा 69 (2), वक्फ बोर्ड की वक्फ के प्रशासन के लिए एक योजना तैयार करने की शक्ति से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि:

" बशर्ते कि जहां ऐसी कोई योजना किसी वंशानुगत मुतवल्ली को हटाने का प्रावधान करती है, वहां योजना में वंशानुगत उत्तराधिकार में अगले व्यक्ति की नियुक्ति का भी प्रावधान होगा। मुतवल्ली को वक्फ के उचित प्रशासन के लिए नियुक्त समिति के सदस्यों में से एक के रूप में हटा दिया गया।

22. उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुतवल्ली के पद पर सफल होने के प्रथागत अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति

इस आशय के वक्फनामा के निर्देशों में, दावेदार को यह दिखाना होगा कि इस तरह की प्रथा ट्रस्ट के पूरे इतिहास में मौजूद रही है, न कि केवल कुछ पीढ़ियों के लिए, ताकि वक्फ का इरादा कि कार्यालय वंशानुगत होना चाहिए। द. सार्वजनिक वक्फ के संबंध में सबूत का बोझ पारिवारिक न्यास की तुलना में अधिक होगा, जैसे कि तत्काल मामले में मुकदमा वक्फ।

23. अब हम विचार कर सकते हैं कि मुस्लिम कानून के तहत एक प्रथा की स्थापना को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत क्या हैं। यह कानून की एक तय स्थिति है कि कानूनी और बाध्यकारी होने के लिए एक प्रथा निश्चित, उचित होनी चाहिए और लंबे समय तक व्यवहार में इस तरह से कार्य करना चाहिए।

अपरिवर्तनीयता और निरंतरता कि यह आम सहमति से एक समुदाय में स्थापित शासी नियम बन गया है। यह समान रूप से तय किया गया है कि पक्ष पर यह दायित्व है कि वह वकालत करने और इसे साबित करने के लिए प्रथा पर भरोसा करे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस संबंध में, हम फलदायी रूप से निम्नलिखित का उल्लेख कर सकते हैं:

फ़ज़ी के मुहम्मद कानून की रूपरेखा (5वां संस्करण, 2008, प्रो. ताहिर महमूद एड., पी। 49) (संक्षेप में "फिज़ी" के लिए):

" सबसे पहले, बोझ उस व्यक्ति पर भारी पड़ता है जो उस प्रथा का समर्थन करने का दावा करता है जिस पर भरोसा किया जाता है और स्पष्ट रूप से साबित करता है कि वह प्रथा द्वारा शासित है न कि सामान्य कानून द्वारा। दूसरा, जहाँ तक प्रथा के प्रमाण का संबंध है, कानून में प्रथा के पक्ष में कोई धारणा नहीं है और प्रथा प्राचीन, निश्चित और सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं होनी चाहिए। (जोर दिया गया)

प्रथा को साबित करने की आवश्यकताओं के संबंध में प्रमुख मामला एच. एच. मीर अब्दुल हुसैन खान बनाम में प्रिवी काउंसिल का निर्णय है। बीबी सोना डेरो, ए. आई. आर 1917 पी. सी. 181। रामलक्ष्मी अम्मल बनाम में अपने पिछले निर्णय पर भरोसा करते हुए। शिवानंद पेरुमल सेतुरायर, (1871-72) 14 मू आई ए 570, परिषद ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

" उत्तराधिकार के सामान्य नियम को संशोधित करने वाले विशेष उपयोगों का सार यह है कि वे प्राचीन और अपरिवर्तनीय होने चाहिए: और यह और भी आवश्यक है कि उन्हें स्पष्ट और असंदिग्ध साक्षय द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। यह केवल ऐसे साक्षय के माध्यम से है कि न्यायालयों को उनके अस्तित्व के बारे में आश्वस्त किया जा सकता है, और यह कि उनके पास पुरातनता और निश्चितता की शर्तें हैं जिन पर मान्यता के लिए उनका कानूनी अधिकार निर्भर करता है। (जोर दिया गया)

24. इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल वक्फ या मूल मुतवल्ली का उत्तराधिकारी होने के कारण मुतवल्ली के पद का दावा नहीं कर सकता है, अगर वे एक लंबे समय से स्थापित उपयोग या प्रथा के माध्यम से दिखा सकते हैं कि संस्थापक का इरादा था कि कार्यालय वंशानुगत उत्तराधिकार के माध्यम से विभाजित होना चाहिए, तो इस तरह के उपयोग या प्रथा का पालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रथा को उन आवश्यकताओं का पालन करना होगा जो आम तौर पर एक प्रथा को साबित करते समय लागू होती हैं, अर्थात इसका विशेष रूप से अनुरोध किया जाना चाहिए, और यह प्राचीन, निश्चित, अपरिवर्तनीय, सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं होना चाहिए, और इसे स्पष्ट और स्पष्ट साक्षय के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए।

25. वर्तमान मामले में उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा किया गया है या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

जहाँ तक विशिष्ट अभिवचनों की आवश्यकता का संबंध है, हम पाते हैं कि अपीलार्थियों का तर्क है कि प्रत्यर्थियों के पास अलियाथममुडा बीथेथियापुरा पूकोया v नहीं है।

विशेष रूप से अनुरोध किया गया कि उनका प्रथागत अधिकार स्पष्ट रूप से गलत है, जहां तक कि ओ. एस. सं. 1/1998 में अपनी शिकायत के पैराग्राफ 2 में उत्तरदाताओं ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि मुतवल्ली का कार्यालय में निहित है

पट्टकल परिवार 'प्राचीन रीति-रिवाज और उपयोग के आधार पर'।

26. इस सवाल पर आते हैं कि क्या उत्तरदाताओं ने अपने पक्ष में एक कानूनी और बाध्यकारी प्रथा साबित करने के बोझ का निर्वहन किया है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यायाधिकरण और पुनरीक्षण न्यायालय ने तथ्यों पर पाया है कि ऐतिहासिक सामग्री सर्वसम्मति से यह स्थापित करती है कि संत

उबैदुल्लावा मस्जिद की पहली मुतवल्ली थी, जिसका निर्माण सातवीं शताब्दी ईस्वी के आसपास किया गया था, और उनके वंशजों ने उनकी मृत्यु के बाद भी इस पद पर बने रहना जारी रखा।

इसके अतिरिक्त, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए कई दस्तावेजों पर ध्यान दिया है, जो दर्शाते हैं कि

पट्टाकल परिवार उत्तराधिकार की एक अखंड श्रृंखला में मस्जिद की संपत्ति का प्रबंधन कर रहा था। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एक्स ए 1, जुमा मस्जिद के प्रशासन में पट्टाकल अहमद खडियार कोया के अधिकारों को स्वीकार करने वाली एक समझौता याचिका, एक्स ए 2, वर्ष 1933 की एक और समझौता याचिका जिसमें पट्टाकल कुन्हीकोया को काजी के रूप में संदर्भित किया गया है, एक्स ए 21, मस्जिद के मुकरी (मुअज़्ज़िन) द्वारा तत्कालीन मुतवल्ली पट्टाकल कुन्हीकोया, एक्स ए 3-5 और एक्स ए 11 के खिलाफ दायर की गई एक शिकायत, जो दर्शाती है कि पट्टाकल कोयम्मकोया 1981 में उनकी मृत्यु से पहले मुतवल्ली थे, एक्स ए 6-9, जिसमें शामिल थे

मस्जिद द्वारा किए गए वार्षिक योगदान के लिए नोटिस और रसीदें मांगें,

जो दर्शाता है कि पटक्कल पूकोया थंगल 1981 से 1996 में उनकी मृत्यु तक पट्टकल कोयम्मकोया के उत्तराधिकारी थे, और पूर्व ए 17-20, जो साबित करता है कि वर्तमान मुतवल्ली प्रतिवादी नंबर 1 पटक्कल चेरियाकोया है। ये दस्तावेज़ स्थापित करते हैं कि 1892 से लेकर अब तक, यह उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्य हैं जो

मुतवल्ली के कार्यालय में लगातार सफल होना। इसलिए, यह साबित होता है कि उत्तरदाताओं के पद पर उत्तराधिकार की प्रथा जुमा मस्जिद का मुतवल्ली प्राचीन काल से अस्तित्व में है, और निश्चित और अपरिवर्तनीय है।

27. अब इस बात पर विचार किया जा सकता है कि क्या 1998 में एक काजी की वैधानिक नियुक्ति और 1921 और 1923 में एक गैर-पट्टाकल काजी की नियुक्ति के माध्यम से तीसरे पक्ष के कथित हस्तक्षेप ने प्रथा की अपरिवर्तनीयता और निरंतरता में उल्लंघन किया है, और दूसरा, क्या उत्तरदाताओं ने स्वयं ऐसा [2019] 10 एस. सी. आर. किया है।

1966 में गठित समिति में अपने पूर्ववर्ती की भागीदारी के माध्यम से और 16.02.1981 दिनांकित एक समझौता डिक्री में प्रवेश करके उल्लंघन करता है।

28. नियुक्ति से संबंधित विवाद के संबंध में

1998 में एक काजी के बारे में, यह स्वीकार किया जाता है कि एक कुन्नासादा हमजाकोया था

काजी अधिनियम, 1880 के तहत एंड्रोट द्वीप के काजी के रूप में नियुक्त। इस नियुक्ति से पहले, प्रत्यर्थियों ने एस. ए. थंगल (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय के समक्ष पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली सरकार की अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी थी कि काजी के पद पर उत्तराधिकार के उनके वंशानुगत अधिकार को वैधानिक नियुक्ति द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस आधार पर

निर्णय दिया कि सरकार ऐसे काजी को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ी।

जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही देखा गया था, न्यायाधिकरण का निष्कर्ष

तथ्यों और कानून। एस. ए. थंगल में निर्धारित उक्ति, जिस पर इस न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलों के दौरान अपीलार्थियों द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया था, इस मामले में अपीलार्थियों की सहायता के लिए नहीं आएगी, क्योंकि उक्त निर्णय एक अलग संदर्भ में दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एस. ए. थंगल में यह देखा गया था कि उसमें याचिकाकर्ता (जो पटक्कल परिवार का सदस्य था) यह दावा नहीं कर सकता था कि काजी की स्थिति वंशानुगत प्रकृति की थी, विशेष रूप से काजी अधिनियम, 1880 (जिसे वर्ष 1970 में लक्षद्वीप पर लागू किया गया था) के लागू होने के बाद। हालाँकि, निर्णय ने यह भी स्वीकार किया कि काजी अधिनियम की धारा 4 के आधार पर, यदि प्रतिवादी अधिनियम के प्रवर्तन से पहले एक पारंपरिक काजी के कार्यों का प्रदर्शन कर रहे थे, वे अधिनियम के तहत एक काजी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के बावजूद ऐसा करना जारी रख सकते थे। यह निर्णय के कार्यात्मक भाग से स्पष्ट है, जो इस प्रकार है:

" 13. इसलिए, याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता है कि

कि वह मृतक काजी का उत्तराधिकारी बन जाता है, वह पद प्रकृति में वंशानुगत, स्वीकार किया जाता है, जो प्रशासन को नहीं रोकेगा

काजी अधिनियम के संदर्भ में एक काजी का चयन करना। नियुक्ति

अधिनियम के तहत किए गए काजी के किसी भी रोकने के लिए नहीं माना जाएगा

धारा के अनुसार काजी के किसी भी कार्य का निर्वहन करने वाला व्यक्ति

4 उक्त अधिनियम का "।

(जोर दिया गया)

आलियाथाम्मुडा बीथेथेबियापुरा पूकोया वी।

पटाकल चेरियाकोया [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

इस संबंध में प्रासंगिक धारा, काजी अधिनियम, 1880 की धारा 4 (सी) इस प्रकार है:

" 4. अधिनियम में न्यायिक या प्रशासनिक प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं है

शक्तियाँ; या काजियों की उपस्थिति को आवश्यक बनाना; या किसी को काजी के रूप में कार्य करने से रोकने के लिए: इसमें निहित कुछ भी नहीं और इसके तहत की गई कोई नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। (ग) किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए

काजी "। (जोर दिया गया)

इसलिए, एस. ए. थंगल में निर्णय के अनुसार भी, उत्तरदाता एक पारंपरिक काजी के कुछ कार्यों का निर्वहन कर सकते थे, इसके बावजूद

काजी अधिनियम के तहत एक अलग व्यक्ति की काजी के रूप में नियुक्ति।

उपरोक्त चर्चा से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि काजी और मुतवल्ली का पद लक्षद्वीप द्वीपों में समान था और इसलिए यदि उत्तरदाताओं ने एक पद का अधिकार खो दिया है, तो वे यह दावा नहीं कर सकते कि दूसरा केवल आंशिक रूप से सही है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सच है कि वक्फ अधिनियम के प्रवर्तन से पहले,

1954 वर्ष 1968 में लक्षद्वीप द्वीप समूह में 'मुतवल्ली' शब्द का उपयोग द्वीपों पर नहीं किया जाता था और 'काजी' शब्द एक व्यक्ति को घेरता था। मस्जिद के मुतवल्ली के रूप में कार्य करना। न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में भी इसका उल्लेख किया है। हालाँकि यह कहना गलत है कि जो व्यक्ति मुतवल्ली/काजी के रूप में काम कर रहा था, वह काजी का पद खोने के बाद मुतवल्ली का पद भी खो देता है।

एस. ए. थंगलिस में विवादित काजी का पद एक वैधानिक

काजी अधिनियम, 1880 के तहत नियुक्ति। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 1970 में काजी अधिनियम के लागू होने के बाद, लक्षद्वीप द्वीपों में मुतवल्ली के कार्यालय और काजी के वैधानिक कार्यालय के बीच एक कानूनी अंतर लागू हुआ। काजी अधिनियम एक स्थानीय क्षेत्र के लिए एक काजी की नियुक्ति से संबंधित है जहां कुछ संस्कारों और समारोहों को करने के लिए उसकी उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अपनी शिकायत में उत्तरदाताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे विशेष रूप से जुमा मस्जिद के "मुतवल्ली-सह पारंपरिक काजी" के पद का दावा कर रहे हैं। वे नहीं हैं।

एस. ए. थंगल में निर्णय का विरोध करना या काजी के वैधानिक पद पर नियुक्ति की मांग करना। इसलिए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि ओएस नंबर 1/1998 की स्थापना के समय, उत्तरदाता थे

[2019] 10 एस. सी. आर. के बाद भी मुतवल्ली के कार्यालय से राहत पाने के उनके अधिकारों के भीतर।

काजी के पद पर उनका दावा पराजित हो गया। इसके अलावा, एक वैधानिक काजी और एक मुतवल्ली के बीच अंतर को देखते हुए, 1998 में कुन्नासादा हमजाकोया की नियुक्ति मुतवल्ली के कार्यालय के संबंध में उत्तरदाताओं की प्रथा का उल्लंघन नहीं होगी।

हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि हमें यह तय करने के लिए नहीं बुलाया गया है कि क्या उत्तरदाताओं को काजी होने का प्रथागत अधिकार है या नहीं।

मस्जिद का, क्योंकि एस. ए. थंगल में निर्णय हमारे सामने चुनौती में नहीं है। इसलिए हम इस मामले में आगे की जांच करने से बचते हैं। 29. अपीलार्थियों का यह तर्क कि प्रत्यर्थियों का मुतवल्ली के पद पर दावा कुछ तीसरे पक्षों की नियुक्ति से विफल हो जाता है

1920 के दशक में काजी के रूप में, यानी क्षेत्र में काजी अधिनियम, 1880 के प्रवर्तन से पहले, उपरोक्त चर्चा के आलोक में भी विचार किया जाना चाहिए।

अपीलकर्ताओं ने इस संबंध में पूर्व बी8 और पूर्व बी9 पर भरोसा किया है। Ex B8 काजी सैयदकोया का 25.05.1921 दिनांकित पत्र है जिसमें अमीन को सूचित किया गया है।

कछेरी, एंड्रोट ने कहा कि उनके चाचा अट्टाकोया थंगल यात्रा के दौरान उनके स्थान पर काजी के रूप में काम कर रहे थे, और काजी सैयदकोया ने बाद में पद फिर से शुरू कर दिया था। एक्स बी9 आर. एच. एलिस का क्रम है।

पट्टक्कल परिवार के प्रति शत्रुता के कारण लोगों द्वारा काजी के रूप में, और सरकार ने ऐसी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया था। सैयदकोया का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, सैयदकोया के परिवार में से किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया था और सभी उत्तराधिकारी काजी पट्टाकल परिवार से थे। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि काजी अधिनियम के प्रवर्तन से पहले भी, सरकार ने निवासियों के अनुरोध पर केवल एक सीमित अवधि के लिए एंड्रोट द्वीप के लिए एक काजी को नियुक्त किया था। इसलिए ऐसी नियुक्ति नहीं होगी। जुमा मस्जिद के प्रबंधन के लिए उत्तरदाताओं के प्रथागत अधिकार पर पूर्वाग्रह।

अलियाथाम्मुदा बीथाथेबियापुरा पूकोया बनाम।

पटाकल चेरियाकोया [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

किसी भी स्थिति में, एक प्रथागत अधिकार के प्रयोग में एक एकल कृत्रिम विराम या अंतराल, वह भी कार्यकारी आदेशों द्वारा, प्रथागत अधिकार को ही निरस्त नहीं करेगा, जब तक कि इस तरह का उल्लंघन एक बार-बार होने वाला अधिकार न हो। उल्लङ्घन या विरोधी पक्ष में उपाधि प्रदान करने की ओर ले जाता है (मुनिंदी कोन बनाम में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय देखें। श्री

रामनाथ सेतुपति, ए. आई. आर. 1982 मद्रास 170, और के. ए. श्रीनिवास अय्यंगार बनाम। एस. रामानुजाचारियार, 1941 (1) एम. एल. जे. 322)। अपीलार्थी यह नहीं दिखा पाए हैं कि पूर्व बी8 या बी9 में उल्लिखित उदाहरणों के अलावा, मुकदमा दायर करने से पहले सदियों से कोई और मस्जिद के काजी-सह-मुतवल्ली के रूप में काम कर रहा था, ताकि बार-बार उल्लंघन हो या किसी तीसरे पक्ष को अधिकार प्रदान किया जा सके। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने यह दिखाने के लिए काफी दस्तावेजी साक्षय प्रस्तुत किए हैं कि पट्टकल परिवार के सदस्य मस्जिद की स्थापना के बाद से मुतवल्ली के रूप में काम कर रहे थे। इस प्रकार, इस संबंध में अपीलार्थियों का तर्क विफल हो जाता है।

30. अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या अपीलार्थी यह साबित करने में सक्षम हुए हैं कि उत्तरदाताओं ने स्वयं अपनी प्रथा का उल्लंघन किया था ठीक है कि प्रथा को निरस्त कर दिया गया था। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने सबसे पहले हमारा ध्यान पूर्व बी5 की ओर आकर्षित किया, जो कि ओ. एस. सं. 10/1974 में वादी पटक्कल कोयम्मकोया की गवाही है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि एंड्रोट द्वीप के 4 इलाकों के 14 सदस्यों से बनी एक समिति का गठन किया गया था, जिसके वे अध्यक्ष थे। इसलिए, अपीलकर्ताओं का तर्क है कि प्रतिवादी यह दावा नहीं कर सकते कि यह केवल एक मरम्मत समिति थी और मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं थी।

यह सच है कि एक्स बी5 में, पटक्कल कोयम्मकोया ने 1966 में समिति के गठन को स्वीकार किया था। हालाँकि, उन्होंने पहले स्पष्ट रूप से अपदस्थ कर दिया था कि समिति मरम्मत की देखरेख के लिए थी और

मस्जिद का रखरखाव कार्य। इसके अलावा, अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा कि हालांकि वे लगातार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, लेकिन उन्हें याद नहीं है कि 1972 के बाद कोई समिति चुनी गई थी या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि बयान की तारीख (यानी 30.04.1977) पर कोई समिति नहीं थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि समिति

यह केवल 1966 से 1972 तक अस्तित्व में था और वह भी केवल मस्जिद की मरम्मत और रखरखाव के संबंध में मुतवल्ली को सलाह देने के लिए। यह. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने पाया है कि अपीलकर्ताओं ने पूर्व बी5 में बयान का खंडन करने और यह दिखाने के लिए कि एक समिति [2019] 10 एस. सी. आर. थी, कोई दस्तावेजी साक्षय प्रस्तुत नहीं किया है।

1972 के बाद मस्जिद के प्रबंधन के लिए कार्य करना। हम उक्त निष्कर्ष से सहमत हैं।

दूसरी ओर, हम उत्तरदाताओं के निवेदन में योग्यता पाते हैं कि 1967 में और उसके आसपास जामा मस्जिद के संबंध में की गई प्रविष्टियाँ

वक्फ अधिनियम, 1954 के तहत वक्फों की सूची और वक्फों के रजिस्टर में ऊपर उल्लेख किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि मुतवल्ली का पद परंपरागत रूप से प्रत्यर्थियों में निहित था, न कि समिति में, उस अवधि के दौरान जब प्रविष्टियां संबंधित थीं। चूंकि वक्फों की सूची (पूर्व ए 3) इस पर निर्भर थी

प्रत्यर्थियों द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना है, जिसमें निहित प्रविष्टि यह दर्शाती है कि मुतवल्ली का पद पटक्कल परिवार के पास था, साक्षय अधिनियम की धारा 35,45 और 81 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य का गठन करेगा, जैसा कि 1977 की राजपत्रकर्ता रिपोर्ट की प्रासंगिकता से संबंधित हमारी चर्चा में उल्लेख किया गया है।

इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वक्फों की सूची सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा प्रारंभिक जांच करने के बाद ही प्रकाशित की जाती है

वक्फ संपत्ति में और आयुक्त की रिपोर्ट के बाद वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 और 5 के तहत जांच की जाती है। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने समवर्ती रूप से पाया है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि वक्फ बोर्ड द्वारा 1967 में जुमा मस्जिद के संबंध में एक जांच की गई थी। अपीलार्थी नं. 1 ने भी न्यायाधिकरण के समक्ष इस जाँच में भाग लेने के बारे में गवाही दी थी, जिसके बाद सूची प्रकाशित की गई थी। इसके बाद, सूची में प्रविष्टि के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई। इसलिए, अपीलार्थी इस स्तर पर यह दावा नहीं कर सकते हैं कि की गई प्रविष्टि गलत है।

वक्फ रजिस्टर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी वक्फ आयुक्त द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए एक प्रविष्टि की जाती है।

इसमें एक लोक अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के पालन में की गई प्रविष्टि है और इसे साक्षय अधिनियम की धारा 35 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य माना जाता है। इसलिए वक्फ रजिस्टर (पूर्व ए 4) में पट्टकल कोयम्मकोया को जुमा मस्जिद के मुतवल्ली के रूप में दिखाना इस विवाद को तय करने के उद्देश्य से एक प्रासंगिक तथ्य है।

31 यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायाधिकरण ने पाया कि जहाँ तक वक्फ़ों की सूची का उल्लेख है, वहाँ एक विसंगति थी कि पट्टाकल

मुतवल्ली अमीनों और करणवनों की देखरेख में था, जबकि रजिस्टर प्रविष्टि में केवल पट्टकल कोयम्मकोया का उल्लेख किया गया था।

मुतवल्ली। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि मस्जिद का प्रबंधन 'अमीन और करणवन' प्रणाली के तहत किया गया था।

अलियाथाम्मुदा बीथेथेबियापुरा पूकोया बनाम।

पटाकल चेरियाकोया [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

जिस अधिकार का प्रयोग किया गया था, उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। पृष्ठ 50 पर फ़िज़ी (5 वां संस्करण, 2008) की निम्नलिखित टिप्पणियाँ इसमें प्रासंगिक हैं। सम्मानः

" प्रथा के साक्षय के बारे में, इसकी स्वीकृति के विशिष्ट उदाहरण जैसा कि कानून साबित किया जा सकता है; ऐसे साक्षय को सामान्य साक्षय द्वारा पूरक किया जा सकता है; पिछले निर्णय जिनमें प्रथा को बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया गया है, साक्षय के महत्वपूर्ण टुकड़े हैं लेकिन उनके

तर्क बाध्यकारी नहीं हो सकता है; अदालत को प्रथा की स्थापना की ईर्ष्या से जांच करनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि नुकसान से गुमराह न हो

सामाजिक स्थितियों से अपरिचित होने के कारण "।

हम इस बात पर चर्चा करना प्रासंगिक पाते हैं कि वक्फ की सूची में क्या प्रविष्टि दर्शाती है कि मस्जिद अमीनों की देखरेख में थी और

करणवन का सटीक अर्थ है, क्योंकि यह व्यापक सामाजिक पृष्ठभूमि थी जिसमें उत्तरदाताओं की प्रथा मौजूद थी। वर्ष 1953 के लिए "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट" के पृष्ठ 284 पर एक अवलोकन से पता चलता है कि अमीन लक्षद्वीप द्वीपों के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी अधिकारी हैं। द.

करणवन विभिन्न स्थानीय परिवारों के प्रमुख होते हैं जिन्हें दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई में अमीन की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। इसलिए, ये कार्यकारी प्राधिकरण हैं जो एक मस्जिद के मुतवल्ली से अलग हैं। न्यायाधिकरण ने स्वयं अपने फैसले में उल्लेख किया है कि जुमा मस्जिद

हो सकता है कि यह तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में हो क्योंकि यह एंड्रोट द्वीप पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मस्जिद थी, लेकिन अमीनसैंड

करणवन सीधे मस्जिद के मामलों का प्रबंधन नहीं कर रहे थे। इसलिए, हम पाते हैं कि वक्फ की सूची में 'अमीन और करणवन' प्रणाली का उल्लेख ऐसी सूची पर निर्भरता के आधार पर उत्तरदाताओं के तर्क को कमजोर नहीं करेगा। हालाँकि यह संभव है कि उत्तरदाताओं के परिवार से संबंधित मुतवल्ली को अन्य अधिकारियों द्वारा सलाह दी गई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तरदाताओं के पास मुतवल्ली का पद नहीं था। इसलिए हम अपीलार्थियों के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि

उत्तरदाता के प्रथागत अधिकार की उपस्थिति के कारण उल्लंघन किया गया था

अमीन और करणवन जैसे सलाहकार प्राधिकरण या 1966 में गठित समिति। बल्कि, यह उत्तरदाताओं के पक्ष में तर्क को मजबूत करता है, यह दिखाने के लिए कि परिवर्तनों के बावजूद

वर्षों से एंड्रोट द्वीप का प्रशासनिक तंत्र, जो [2019] 10 एस. सी. आर. है।

किसी भी क्षेत्र में अपरिहार्य, यह पटक्कल परिवार है जो मस्जिद में मामलों के शीर्ष पर रहा है।

32. हम स्वयं को अपीलार्थियों के इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं कि आदेश XXIII नियम 3B, सी. पी. सी. का उल्लंघन जबकि ओ. एस. सं. सं. सं

पटाकल चेरियाकोया [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

प्रक्रियात्मक, और मामले की जड़ तक जाएँ क्योंकि वे प्रभावित पक्षों को समझौते की शर्तों पर सवाल उठाने के अवसर से वंचित करते हैं जिससे वे बाध्य होने जा रहे हैं। चूँकि आदेश XXIII नियम 3B के तहत आवश्यक दोनों शर्तों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए समझौता आदेश था शून्य।

इसके अलावा, हम पाते हैं कि उपरोक्त प्रक्रियात्मक उल्लंघन के अलावा, समझौता आदेश भी अवैध है क्योंकि यह इसका पालन करने में विफल रहता है। वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 60, जिसमें यह प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बिना मुतवल्ली के अधिकारों से संबंधित वक्फ के मुतवल्ली द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी अदालत में किसी भी मुकदमे से समझौता नहीं किया जाएगा। डिक्री से पहले वक्फ बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के बजाय, समझौता डिक्री में पैराग्राफ 7 में उल्लेख किया गया है कि उसमें लिए गए निर्णयों को बाद में वक्फ बोर्ड को सूचित किया जाना है। इसलिए, हम खुद को निचली अदालतों के निष्कर्षों से सहमत पाते हैं कि समझौता डिक्री अवैध और अमान्य थी।

इसके अलावा, जैसा कि सरदार बीबी (ऊपर) पर भरोसा रखते हुए उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा सही तर्क दिया गया है, जो भी किया गया है

पृष्ठ 14 पर मुल्ला (21वां संस्करण, 2017) द्वारा अनुकूल रूप से उद्धृत, प्रथा के निरसन का अनुमान केवल एक व्यक्तिगत घोषणा (यानी पट्टकल कोयम्मकोया थंगल द्वारा डिक्री में की गई स्वीकारोक्ति) से नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि परिवार द्वारा उस प्रभाव के लिए कोई निरंतर आचरण नहीं किया जाता है। प्रतिवादियों के परिवार को समझौता डिक्री पारित करने से पहले नोटिस नहीं दिया गया था और उसमें बनाई गई शर्तों के संबंध में उनका कोई कहना नहीं था, और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि डिक्री उनके खिलाफ बाध्यकारी है।

33. इस प्रकार, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता यह स्थापित करने में सक्षम नहीं हुए हैं कि समिति के गठन के कारण प्रत्यर्थियों के मुतवल्ली पद पर रहने के प्रथागत अधिकार का उल्लंघन हुआ था

1966 में जो 1972 तक अस्तित्व में था या समझौता डिक्री के कारण जिसे शून्य घोषित किया गया है।

34. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि भले ही यह साबित हो जाए कि उत्तरदाताओं का एक प्रथागत अधिकार है, इस तरह की प्रथा [2019] 10 एस. सी. आर. का उल्लंघन करती है।

सार्वजनिक नीति और अनुचित है, क्योंकि एक परिवार को सार्वजनिक वक्फ के प्रबंधन पर एकाधिकार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हम इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि मुतवल्ली का वक्फ से संबंधित संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, और यह केवल एक

अधीक्षक या प्रबंधक। इसलिए, प्रत्यर्थियों का मुतवल्ली के पद का अधिकार वक्फ को उसके सार्वजनिक चरित्र से वंचित नहीं करता है। इसके अलावा, उत्तराधिकार के किसी भी प्रथागत अधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अधीन होगा, जो वक्फ बोर्ड को वक्फ के प्रशासन की निगरानी के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।

उदाहरण के लिए, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 64 मुतवल्ली को हटाने का प्रावधान करती है, और अधिनियम की धारा 69 कुछ आकस्मिकताओं के तहत वक्फ के प्रशासन के लिए एक योजना तैयार करने के लिए बोर्ड की शक्ति से संबंधित है।

हम बॉम्बे उच्च न्यायालय की इन रे मोहम्मद हाजी हारून (सुप्रा) में निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना भी प्रासंगिक पाते हैं, जो धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए बनाए गए वक्फ के संदर्भ में की गई थीं:

मुतवल्ली को नियुक्त करने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें मुतवल्ली होने का वंशानुगत अधिकार है, फिर भी उनके वंश से कम यदि कोई कुप्रबंधन है तो उन्हें हटाने से बचाएँ। जिन न्यासियों की अब नियुक्ति की जा रही है, उन्हें न्यास के प्रशासन में विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें धन का उपयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए और इस तरह से करना चाहिए कि उनके खिलाफ कोई आरोप लगाने का कोई आधार न हो। इस बात का कोई संदेह पैदा नहीं होने दिया जाना चाहिए कि धन अलियथामुडा बीथेथियापुरा पूकोया बनाम नहीं है।

पटाकल चेरियाकोया [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

सबसे उपयुक्त और उचित वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है। प्रत्येक भाग

धन का उपयोग पूरी तरह से इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए, जो एक प्रगतिशील और प्रबुद्ध है। धर्म "।

जैसा कि उपरोक्त निर्णय में उल्लेख किया गया है, भले ही मुतवल्ली वक्फ के परिवार से संबंधित हो, वह हटाने के मामले में प्रतिरक्षित नहीं है

35. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तरदाता एक स्थापित करने में सक्षम हैं इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत जुमा मस्जिद के मुतवल्ली के पद का प्रथागत अधिकार, जो अनुचित या सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं है। उत्तरदाताओं ने स्पष्ट और स्पष्ट साक्षयों के माध्यम से दिखाया है कि लगातार नियुक्तियों के माध्यम से मुतवल्ली के पद के निरंतर और अपरिवर्तनीय हस्तांतरण की प्रथा है

पटक्कल परिवार के भीतर से, मस्जिद की संस्था से ही शुरू हुआ। फातमाबी में प्रतिपादित सिद्धांत को अपनाना और

कलंदर साहिब (ऊपर), हम पाते हैं कि यह प्रमाण यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि इस तरह का वंशानुगत हस्तांतरण मूल वाकीफ उबैदुल्लाह के इरादे के अनुसार था, इसलिए मुतवल्ली के पद पर वंशानुगत उत्तराधिकार की प्रथा को साबित करने के लिए उपर्युक्त विशिष्ट आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

36. इसलिए, अपीलों को खारिज कर दिया जाता है और विवादित निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाती है।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

दिव्या पांडे